भारत सरकार

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(मोर्थ)

हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर परियोजना

(जी एन एच सी पी)

विश्व बैंक की ऋण सहायता से हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर परियोजना (जीएनएचसीपी) के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएच–70 के हमीरपुर–मंडी खंड (किमी 141.000 से किमी 250.592) के 2-लेन विन्यास का पुनर्वास और उन्नयन

के लिये

पुनर्वास कार्य योजना का कार्यकारी सारांश

अध्याय- कार्यकारी सारांश

क०स०1 परियोजना परिचय

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लगभग 6,000 की०मी० की लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्गो को कॉरिडोर विकास दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए एवं विश्व बैंक ऋण हासिल करने की संभावना तलाशने तथा बजटीय आवंटन के माध्यम से दिसम्बर 2014 तक मिसिग लिकों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/निर्माण 2 लेन NH मानकों के अनुसार विकसित करने की पहल की है। इस कार्यक्रम के तहत कुल 84 परियोजनाओ को चिन्हित किया गया है जिसमे से 3,770 कि०मी० लंबाई की 33 परियोजनाये एवं 2,245 कि०मी० लंबाई की 51 परियोजनाये क्रमश: विश्व बैंक ऋण एवं बजटीय आवंटन के माध्यम से वित्त पोषित होंगी।

यात्री और मालवाहक वाहनों के किफायती, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल आवागमन को बेहतर बनाये जाने हेतु एक अच्छी सड़क नेटवर्क सुविधा को बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। इससे क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों में भी सुधार होगा और साथ ही साथ देश के आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी।

विश्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना की तैयारी की गई है और पीसीसी द्वारा परियोजना की निगरानी की जा रही है। निरीक्षण रिपोर्ट, व्यवहार्यता रिपोर्ट और ड्राफ्ट डीपीआर RW/NH-12013/28/2010/SP(D-3)/P-9 दिनांक 16.01.2014 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। अधीक्षण अभियंता, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली ने यह अवगत कराया कि मंत्रालय के ज्ञाप संख्या RW/NH/12013/28/2010/SP(D/3)/P-9 दिनांक 02.05.2013 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस संबंध मे अग्रतर कार्यवाही मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट ज़ोन-1) तय करेंगे।

परियोजना की कुल लंबाई 109.952 कि०मी० जो की हमीरपुर एवं मंडी जिले से गुजरेगी। रा०मा० संख्या-70 का वर्तमान संरेखण हिमाचल प्रदेश के केन्द्रीय एवं उत्तर-पूर्व भाग से गुजरता है। वर्तमान सड़क पहाड़ी क्षेत्र से गुजरता है। यह RAP रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में रा०मा० संख्या-70 के हमीरपुर से मंडी खंड (कि०मी० 141.00 से कि०मी० 265.00 तक, कुल 124 कि०मी०) से सम्बन्धित है।

क०स०2 परियोजना विवरण

यह सड़क परियोजना कि०मी० 141.00 सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल सरकारी कॉलेज (हमीरपुर) से आरंभ होकर कि०मी० 265.00 संत निरंकारी सत्संग भवन (मंडी) के समीप पुलघराट पुल पर अंत होती है। वर्तमान सड़क की कुल लम्बाई 124.00 कि०मी० है तथा प्रस्तावित सड़क की कुल लम्बाई 109.592 कि०मी० है। यद्यपि परियोजना की लम्बाई 109.52 कि०मी० है पर भूमि अधिग्रहण 104 कि०मी० की लम्बाई मे प्रस्तावित है क्यूंकी शेष 5 कि०मी० की लम्बाई की सड़क, जो पहले से 2-लेन की है, का चौड़ीकरण नहीं किया जाना है मात्र सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है। यह सड़क परियोजना 2 जिलों (हमीरपुर और मंडी), 6 तहसीलों (हमीरपुर, भोरंज, सरकाघट, धर्मपुर, कोटली और मंडी) एवं 97 ग्रामों से गुजरती है। यह प्रस्ताव वर्तमान सड़क को 2-लेन, पक्की/कच्ची आधार सहित, पुनरुद्धार /उन्नयनिकरण करने का है। प्रस्तावित सुधार तालिका **ES-**1 में दिए गए हैं

Table ES-1: सड़क परियोजना मे प्रस्तावित सुधार

क्र० स०	विवरण	वर्तमान मे	प्रस्तावित
1	परियोजना विस्तार	कि०मी० 141.00 से कि०मी० 265.00 तक	कि०मी० 141.00 से कि०मी० 250.592 तक
2	सड़क लम्बाई	124.00 कि०मी०	109.592 कि०मी०
3	केरेज वे (Carriageway)	3.75 मी० से 7 मी०	7 मी०+ कच्चा आधार 7 मी०+ पक्का आधार
4	मार्ग–अधिकार (मी०)	5 मी० to 20 मी०	आबादी मे 10 मी० एवं पुनः संरेखण तथा खुले क्षेत्रों मे 15 मी०
5	पुनः संरेखण	–	संख्या–25, लम्बाई- 10.926 कि०मी०
6	जंकशन	77	75
8	बस स्टैंड	72	40
9	ट्रक ले बाइ	–	2
10	बड़े पुल	1	1
11	छोटे पूल	7	7
12	पुलिया	487	497
13	टोल प्लाज़ा	–	संख्या 2 (कि०मी० 150+051 and कि०मी० 244+751)

क०स०3 परियोजना क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा

वह परिवार जिनकी आवासीय/वाणिज्यिक/अन्य परिसम्पत्तियाँ प्रभावित हो रही है का जनगणना सर्वेक्षण किया गया है। जनगणना सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि पुरुष और महिला अनुपात **2487/2312** है। सर्वेक्षण किए गए परिवारों में अधिकांश हिदू हैं और उसके बाद मुस्लिम हैं। अधिकांश परिवार हिदी को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं और उसके बाद हिमाचली बोलने वाले लोग आते हैं। सर्वेक्षण किए गए अधिकांश परिवार संयुक्त प्रकृति के हैं और अधिकांश सदस्य विवाहित हैं। लगभग 95.78% प्रभावित परिवार साक्षर हैं और 4.22% निरक्षर हैं। जहां तक शैक्षिक उपलब्धि का संबंध है, 18.11% प्राथमिक कक्षा तक, 24.40% माध्यमिक तक शिक्षित हैं, 36.41% उच्च माध्यमिक तक शिक्षित हैं, 10.36% स्नातक स्तर तक पढ़े हैं, 4.37% ने स्नातकोत्तर तक और 0.61% ने तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई की है। जैसा कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों में उल्लेख किया गया है, हमीपुर और मंडी जिलों का लिगानुपात क्रमशः 1095 और 1007 है, और साक्षरता दर हमीरपुर और मंडी जिलों में 88.15 और 81.5 है। यह स्थापित किया गया है कि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाले 9 परिवार की एक यादृच्छिक संख्या को छोड़कर पूरे परियोजना खंड में आदिवासी आबादी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

क०स०4 भूमि अधिग्रहण, परियोजना का प्रभाव एवं इनवेंटरी की क्षति

इस परियोजना के लिए कुल 155.2223 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है जिसमे से 50.**5164** हे० सरकारी कब्जे मे है, 59.7059 हे० वनाधिकार की भूमि है एवं शेष 3953 भूखंडो मे लगभग 45 (44.9823) हे० निजी भूमि प्रभावित है। जनगणना सर्वेक्षण से पता चलता है कि कुल 5602 भूखंड प्रभावित होंगे। 5602 भूखंडों में से 3953 निजी भूखंड हैं और शेष 1649 सरकारी भूखंड हैं। भूमि अधिग्रहण से 1487 संरचनाएं प्रभावित होंगी। 1487 संरचनाओं में से 1366 निजी संरचनाएं हैं और शेष 121 सरकारी संरचनाएं हैं।

परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा केवल प्रभावित संरचनाओं के लिए आयोजित जनगणना और सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई है। वे भूस्वामी जो विभिन्न कारणों से सर्वेक्षण के लिए उपलब्ध नहीं थे, जैसे, एक अलग स्थान पर स्थानांतरित, पड़ोसी गांवों में नहीं रहने वाले, एक अलग राज्य में रहने वाले, हालांकि, भूमि अधिग्रहण के दौरान भूस्वामियों का विवरण सत्यापित और प्रस्तुत किया जाएगा।

जनगणना सर्वेक्षण की कट–ऑफ तिथि 26 अक्टूबर, 2019 है। जनगणना सर्वेक्षण से पता चलता है कि 1487 संरचनाएं प्रभावित हो रही हैं जिनमें 1366 निजी संरचनाएं और 121 सीपीआर शामिल हैं। कुल 1366 संरचना स्वामियों में से केवल 1303 ही सर्वेक्षण के लिए उपलब्ध थे। शेष 63 परिवारों की जानकारी नियुक्त एनजीओ द्वारा आर०ए०पी० **(**RAP**)** कार्यान्वयन के दौरान आर०एंडआर० **(**R**&**R**)** डेटा के सत्यापन के दौरान एकत्र की जाएगी।

इस परियोजना के चौड़ीकरण और उन्नयनिकरण से 533 आवासीय संरचनाएं प्रभावित होंगी जिनमें 25 मवेशी शेड, 410 वाणिज्यिक, 423 आवासीय सह वाणिज्यिक और 121 अन्य (धार्मिक, सामुदायिक और सरकारी संरचनाएं) शामिल हैं।

परियोजना के लिए पुनर्वास नीति ढांचे (Resettlement Policy Framework**)** में परिभाषित कमजोर/ संवेदनशील आबादी के अनुसार संवेदनशील आबादी की पहचान की गई है। इनमें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), महिला मुखिया परिवार (डब्ल्यूएचएच), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), दिव्यांग (विकलांग) शामिल हैं। कुल 426 घरों की पहचान संवेदनशील के रूप में की गई है।

क०स०5 पुनर्वास नीति ढांचा और पात्रता मैट्रिक्स

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर परियोजना (जीएनएचसीपी) हेतु एक पुनर्वास नीति ढांचा तैयार किया गया है। इस आरपीएफ में पुनर्वास और पुनर्वास सिद्धांत और दृष्टिकोण जिसका पालन परियोजना कार्यान्वयन के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने मे किया जाना है, पात्रता मानदंड एवं प्रभाव के प्रकार और प्रकृति के अनुसार पात्रता, संस्थागत व्यवस्थाएं, निगरानी और मूल्यांकन, शिकायत निवारण तंत्र आदि शामिल है।

क०स०6 सार्वजनिक सूचना और विमर्श

सार्वजनिक सूचना का आदान–प्रदान और विमर्श सामाजिक जांच एवं जनगणना सर्वेक्षण चरणों के दौरान आयोजित किए गए थे। परियोजना की तैयारी के दौरान हितधारकों के साथ विमर्श की विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया गया था, जैसे सार्वजनिक बैठकें, समूह चर्चा, प्रभावित परिवारों के साथ बातचीत, मीडिया बातचीत आदि। कमजोर और महिला समूहों पर विशेष जोर देने के साथ विमर्श भी किया गया है। इसमे संभावित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी), स्थानीय समुदाय और अन्य हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई।

हमीरपुर एवं मण्डी जिलों में **2018** में **5** संख्या में 5 स्थानों पर हितधारक विमर्श तथा **2019** में जनगणना सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) और अन्य हितधारकों के साथ आंकड़ों/ सूचनाओं की पुष्टि करने के लिए कई

सारे अनोपचारिक विमर्श किये गये हैं। **RAP** के कार्यान्वयन के दौरान परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) जो कि ज़मीन के साथ साथ संरचना/ढांचा खो रहे हैं उन पर परियोजना का प्रभाव सत्यापित करने के लिए कई प्रकार के विमर्श किये जाएँगे. परियोजना की समयावधि के दौरान नियमित अंतराल पर जन विमर्श/हितधारक विमर्श किये जाएँगे तथा उनको दस्तावेज़ किया जाएगा।

विमर्श के दौरान परियोजना के बारे में संक्षिप्त विवरण, सड़क विकास एजेंसी, फंडिग एजेंसी की भागीदारी, संभावित प्रतिकूल प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव, रोजगार सृजन आदि पर चर्चा की गई। इन परामर्शों के दौरान प्रतिभागियों द्वारा व्यक्त की गई चिताओं, विचारों और सुझावों को जहां भी संभव हो, प्रभावों को कम करने के लिए डिजाइन टीम के साथ साझा किया गया है। परियोजना की तैयारी के दौरान 5 स्थानों पर जिला स्तरीय विमर्श आयोजित किया गया है।

समुदाय द्वारा व्यक्त की गई चिताओं और आशंकाओं में भूमि, संरचना और अन्य संपत्तियों के लिए मुआवजे की राशि, संरचनाओं पर प्रभाव, कमाई के स्रोतों पर प्रभाव, सड़क दुर्घटना आदि शामिल हैं। कुल मिलाकर, परियोजना प्रभावित व्यक्ति और अन्य हितधारक प्रस्तावित परियोजना के पक्ष में हैं। समुदाय का मानना है कि इस परियोजना से क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

क०स०7 विकल्पों का विश्लेषण और प्रभावों का न्यूनीकरण

विकल्पों का विश्लेषण सामाजिक प्रभावों के संदर्भ में "परियोजनाओं के साथ दीर्घकालिक परिदृश्य और परियोजना के बिना दीर्घकालिक परिदृश्य" के आधार पर किया गया है। सड़क परियोजना के निर्माण के लिए वैकल्पिक संरेखण मार्ग के मूल्यांकन एवं चयन के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली इंजीनियरिग, आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विचारों पर आधारित है जिन पर प्रकाश डाला गया है। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलू के बारे में विस्तृत अध्ययन के आधार पर मौजूदा और पुनर्संरेखण के बीच 25 पुनर्संरेखण का प्रस्ताव तुलनात्मक अध्ययन के बाद किया गया है।

क०स०8 लिग से जुड़े मुद्दे और महिलाओं की भागीदारी

173 महिला मुखिया परिवार संरचनाये तोड़े जाने से प्रभावित हो रही हैं। प्रभावित परिवारों में **13.28%** महिलाएं हैं। सामाजिक–आर्थिक मानदंड जैसे साक्षरता, कार्यबल मे भागीदारी दर और सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति आदि से पता चलता है कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति कम है, जिससे महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों को कमजोर मानने का विचार के दायरे मे आया है। पूर्व–नियोजन और नियोजन चरणो में विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। इनमें शामिल है; आर० ए० पी० कार्यान्वयन के लिए एन० जी० ओ/परामर्श फर्म में जांचकर्ताओं/सुविधाकर्ताओं के रूप में महिला सदस्यों को शामिल करना; विशिष्ट जेंडर संकेतकों के साथ परियोजना के परिणामों के मूल्यांकन में प्रोत्साहन; सभी सहायता का भुगतान दोनों पति–पत्नी के नाम संयुक्त खाते में किया जाएगा; श्रम अवसरों, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य केंद्र, डे क्रेच में वरीयता के प्रावधान द्वारा निर्माण गतिविधियों में भागीदारी, और जहां भी संभव हो, प्राथमिक शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है।

क०स०9 पुनरुद्धार एवं पुनर्वासन बजट

पात्रता मैट्रिक्स के आधार पर, हमीरपुर–मंडी सड़क परियोजना के लिए आर० एंड आर० बजट का आकलन किया गया है। इसमें दो व्यापक घटक शामिल हैं अर्थात् मुआवजा राशी और सहायता राशी। परियोजना के लिए कुल भूमि, संरचना, प्रशासनिक और सहायता बजट रु. 503.87 करोड़ जिसमें से रु. 311.64 करोड़ भूमि के मुआवजे के लिए है, संरचनाओं की लागत रु.107.59 करोड़ है, आर एंड आर सहायता की लागत 77.60 करोड़ है और प्रशासनिक व्यय 1.43 करोड़

है।

क०स०10 RAP कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था

RAP क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था को आरपीएफ का अंग बनाकर संस्थागत व्यवस्था तय की गई हैं। संस्थागत व्यवस्थाएं तीन स्तरों पर स्थापित की जाएंगी, अर्थात् MoRTH (केंद्र सरकार), राज्य स्तर और उप–परियोजना स्तर पर साझेदारी मॉडल पर, जिसमें विभिन्न स्तरों पर संबंधित एजेंसियां एक दूसरे के प्रयासों के पूरक हैं। संस्थागत व्यवस्थाओं के प्रमुख तत्व सहयोग/समर्थन, स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं के साथ जिम्मेदारियों को साझा करना, प्रमुख हितधारकों की भागीदारी और विभिन्न एजेंसियों के बीच लंबवत और क्षैतिज संबंध हैं।

क०स०11 शिकायत निवारण प्रणाली

किसी भी विवाद या शिकायतों को यहां प्रस्तावित शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से संबोधित किया जाएगा। जी०आर०सी० से एक निर्धारित समय के भीतर पात्र व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान करने की अपेक्षा की जाती है। जी०आर०सी० का निर्णय बाध्यकारी है, जब तक कि किसी कानूनी अदालत द्वारा इसके विपरीत कोई आदेश नहीं किया जाता है।

जी०आर०सी० का गठन परियोजना प्राधिकरण द्वारा परामर्श और बातचीत के माध्यम से एल० ए० और आर० एंड आर० पर अधिक से अधिक विवादों को निपटाने के उद्देश्य से किया जाएगा। प्रत्येक पी०आई०यू० के लिए एक जी०आर०सी० होगा। जी०आर०सी० में छह सदस्य शामिल होंगे जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी/समाज कल्याण अधिकारी, जो समूह क अधिकारी रैंक से नीचे नहीं होंगे, द्वारा की जाएगी। जी०आर०सी० के अन्य सदस्यों में संबंधित परियोजना निदेशक–सह–कार्यकारी अधिकारी, एक सेवानिवृत्त पीडब्ल्यूडी अधिकारी (कार्यकारी अभियंता के पद से नीचे नहीं), आर० आर० ओ० , पी० ए० पी० के प्रतिनिधि और संबंधित गांव के सरपंच (गांव के निर्वाचित प्रमुख) शामिल होंगे।

पी० ए० पी० की लिखित शिकायतों को रैप कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निवारण के लिए जी०आर०सी० के समक्ष लाया जाएगा। रैप कार्यान्वयन एजेंसी पी० ए० पी० को जी०आर०सी० के समक्ष अपना मामला पेश करने में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। जी०आर०सी० 15 दिनों के भीतर शिकायत का जवाब देगी। जी०आर०सी० की आम तौर पर महीने में एक बार बैठक होती है, लेकिन अगर स्थिति की मांग होती है तो वह और भी बैठक कर सकती है। पी० ए० पी० की शिकायत के निवारण के लिए 45 दिनों की समयावधि उपलब्ध होगी। जी०आर०सी० का निर्णय पी० ए० पी० के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। शिकायत समितियों का निर्णय डीपी के लिए बाध्यकारी नहीं होगा और यदि वे अपने खर्च पर ऐसा चाहते हैं तो उनके पास अदालत का सहारा लेने का विकल्प होगा।

क०स०12 रैप कार्यान्वयन सारणी

कॉरिडोर के निर्माण की अवधि 24 महीने है। ऑन–ग्राउंड पुनर्वास और पुनर्वास अभ्यास और सिविल कार्यों के लिए बाधा रहित हिस्से को सौपने में 5 महीने लगेंगे और बाद में, एन० जी० ओ० सड़क सुरक्षा, एचआईवी / एड्स रोकथाम अभियान, पी० ए० पी० के लिए पुन: प्रशिक्षण, समग्र निगरानी की सुविधा पर जागरूकता कार्यक्रम आदि चलाएगा।

क०स०13 निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई)

निगरानी का समग्र उद्देश्य कार्यान्वयन प्रक्रियाओं और प्रगति का ट्रैक रखना, वार्षिक कार्य योजनाओं में निर्धारित प्रदर्शन लक्ष्यों की उपलब्धि, सबक सीखना और उभरती बाधाओं और मुद्दों से निपटने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करना है।

मूल्यांकन अध्ययन यह आकलन करने पर केंद्रित होगा कि क्या परियोजना के समग्र उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है और

परिभाषित प्रभाव संकेतकों का उपयोग मूल्यांकन का आधार होगा। परियोजना के स्टाफ सदस्यों को प्रोजेक्ट साइट पर प्रभावी करना, साइट कार्यालय खोलने आदि सहित आरएपी और टीडीपी कार्यान्वयन की प्रगति पर रिपोर्ट कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी और उप–परियोजना स्तर पर आर एंड आर अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी। त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट एलए सह एसडीओ द्वारा तैयार की जाएगी, और छह मासिक प्रगति रिपोर्ट एम एंड ई एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी। परियोजना कार्यान्वयन रिपोर्ट के हिस्से के रूप में परियोजना कार्यान्वयन के अंत में एम एंड ई एजेंसी द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

आरएपी कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए पुनर्वास नीति ढांचा (आरपीएफ) के अनुसार एक बाहरी एजेंसी (तृतीय पक्ष) की सेवाओं को किराए पर लेने का प्रवधान है। इसका मतलब यह है कि परियोजना प्राधिकरण बाहरी एजेंसी के माध्यम से परियोजना स्थल पर आरएपी आईए के प्रोजेक्ट पर प्रभावी होने के एक माह उपरांत निगरानी और मूल्यांकन करेगा। आर एंड आर अधिकारी और आरएपी आईए की सहायता से परियोजना समन्वय इकाई (पीसीयू) के सामाजिक अधिकारी द्वारा आंतरिक निगरानी की जाएगी जबकि बाहरी निगरानी और मूल्यांकन इस उद्देश्य के लिए लगे तीसरे पक्ष द्वारा किया जाएगा। इससे परियोजना की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने में मदद मिलेगी। साइट का दौरा करने और पीएपी के साथ परामर्श करने से नियमित निगरानी से कार्यान्वयन में आने वाली संभावित कठिनाइयों और समस्याओं की पहचान करने में मदद मिलेगी और तदनुसार यदि आवश्यक हो तो विचलन सहित समय पर सुधारात्मक उपाय करने में मदद मिलेगी।

निगरानी के घटकों में प्रदर्शन निगरानी यानी कार्य की भौतिक प्रगति और प्रभाव निगरानी और बाहरी मूल्यांकन शामिल होंगे। प्रदर्शन से संबंधित निगरानी के लिए संकेतक निम्न अनुभागों में दिए गए हैं। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, यदि कुछ अन्य संकेतक प्रासंगिक पाए जाते हैं, तो उन पर भी निगरानी के लिए विचार किया जाएगा।